

**प्रेस विज्ञप्ति****थाना- रानी की सराय****चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 06.01.2024 को वादी मुकदमा अबुशहमा पुत्र मो0 इकराम निवासी आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की विल्डिंग मैटेरियल की दुकान से अभियुक्त 1. हनजल पुत्र स्व0 अशफाक नि0 आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, व 01 नाम पता अज्ञात व्यक्ति ने चोरी किया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 05/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ अभियुक्त हनजला पुत्र स्व0 असफाक अहमद निवासी आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दिनांक 07.01.2024 को गिरफ्तार मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 1. अताउल्लाह, 2. अब्दुल्लाह का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये अभियुक्त अताउल्लाह पुत्र दिलजाली उर्फ नवी हसन नि0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दिनांक 16.04.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 17.04.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी, उ0नि0 सर्वजीत सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अब्दुल्लाह पुत्र अबुल खैर नि0 आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को कोटिला तिराहे से समय करीब 08.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0स0- 05/2024 धारा 379 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अब्दुल्लाह पुत्र अबुल खैर नि0 आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास-**

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	77/2023	323/325/504/506 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
02	151/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
03	16/2021	8/20एनडीपीएस एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
04	05/2024	379/411 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** व0उ0नि0 गोपाल जी, उ0नि0 सर्वजीत सोनकर, का0 देवेश कुमार, म0आ0 शोभा कुशवाहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

**थाना देवगाँव****अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

आज दिनांक 17.04.2024 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा कटौली मोड़ से अभियुक्त असलम शेख पुत्र मो0 तंजरे आलम निवासी बैरीडीह थाना देवगाँव आजमगढ़ को समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमन्चा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 137/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0स0 137/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-** 01 तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

**आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0स0 44/2021 धारा 354,363,366 भादवि, 3(5) SC/ST एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।
- मु0अ0स0 338/2023 धारा 380,382,411,457 भादवि0 थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।
- मु0अ0स0 347/2023 /25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।
- मु0अ0स0 137/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** असलम शेख पुत्र मो0 तंजरे आलम निवासी बैरीडीह थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी (चौकी प्रभारी लालगंज), हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 अनिल यादव चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़।

## थाना निजामाबाद

### गांजा तस्कर गैंग के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही; गांजा तस्कर गैंग का सरगना गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 11.04.2023 को थाना प्रभारी निजामाबाद मय हमराह व स्वाट टीम द्वितीय प्रभारी मय हमराह द्वारा 02 डीसीएम में करीब 309 किग्रा गांजा ले जा रहे 02 अभियुक्तों 1. सूर्यमणी यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी सदहा थाना पट्टी जिला प्रताप गढ हाल पता 547 जूली आण्डी की चाल संतोष नगर गोरगाँव मुम्बई महाराष्ट्र, 2. अनुरोध कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुआ जिला कैमुर बिहार को ग्राम सहदुल्लाहपुर मार्ग से गिरफ्तार किया गया था।

➡ गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/23 धारा 8/27A/29 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि उक्त गांजा तस्करी का गैंगलीडर 1. मुलायम मौर्य उर्फ सूर्यभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी जमुआ थाना तरवा आजगमढ व सदस्य 2. सूर्यमणी यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी सदहा थाना पट्टी जिला प्रताप गढ हाल पता 547 जूली आण्डी की चाल संतोष नगर गोरगाँव मुम्बई महाराष्ट्र 3. अनुरोध कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुआ जिला कैमुर बिहार 4. मनोज कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुआ जिला कैमुर बिहार 5. मखन्चू ठठेरा पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जिला गाजीपुर है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थानाध्यक्ष निजामाबाद की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजगमढ महोदय द्वारा दिनांक 08.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 16.04.2024 को थानाध्यक्ष निजामाबाद सच्चिदानन्द यादव की तहरीर पर गैंगलीडर 1. मुलायम मौर्य उर्फ सूर्यभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी जमुआ थाना तरवा आजगमढ व सदस्यों 2. सूर्यमणी यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी सदहा थाना पट्टी जिला प्रताप गढ हाल पता 547 जूली आण्डी की चाल संतोष नगर गोरगाँव मुम्बई महाराष्ट्र 3. अनुरोध कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुआ जिला कैमुर बिहार 4. मनोज कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुआ जिला कैमुर बिहार 5. मखन्चू ठठेरा पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जिला गाजीपुर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 2(ख)(2)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 सविन्द्र राय द्वारा की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 17.04.2024 को थानाध्यक्ष निजामाबाद सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मुलायम मौर्य उर्फ सूर्यभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी जमुआ थाना तरवा आजगमढ उम्र करीब 36 वर्ष को मोहनपुर बाजार से समय करीब 10.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 173/24 धारा 2(ख)(2)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** मुलायम मौर्य उर्फ सूर्यभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी जमुआ थाना तरवा आजगमढ

#### **आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 173/24 धारा 2(ख)(2)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ
2. मु0अ0सं0 159/23 धारा 8/27A/29 NDPS Act थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ
3. मु0अ0सं0 112/23 धारा 8/20 NDPS Act थाना तरवा जनपद आजगमढ

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष निजामाबाद सच्चिदानन्द यादव, हे0का0 सुभाष यादव, का0 कृष्ण चन्द्र, का0 अमित यादव, का0 अजय जयसवाल, म0का0 रेनु देबी थाना निजामाबाद जनपद आमजगढ।

#### **प्रेस-विज्ञप्ति**

**पुलिस अधीक्षक आजगमढ ने अभियुक्त फारुख करीम उर्फ गोल्डी व इसके 03 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में किया सूचीबद्ध**

दिनांक- 17.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजगमढ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त फारुख करीम उर्फ गोल्डी पुत्र स्व0 अब्दुल करीम निवासी म0नं0- 196 बाजबहादुर थाना कोतवाली, जनपद आजगमढ उम्र 45 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजगमढ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का संचलान तथा अन्तराष्ट्रीय काल को लोकल काल्स में परिवर्तित कर सरकार को राजस्व की हानी पहुंचाने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (आपराधिक गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 234” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. शमीम अहमद पुत्र एकलाख अहमद निवासी चिवटही थाना गम्भीरपुर जनपद आजगमढ उम्र 46 वर्ष।
2. कलीम अहमद पुत्र अली अहमद निवासी हुसामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ उम्र 40 वर्ष।
3. आसिफ उर्फ मुन्ना पुत्र मुहम्मद मुख्तार निवासी कुशैनगर रामबाग थाना कोतवाली जनपद आजगमढ उम्र 46 वर्ष।

## पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त सलीम नट व इसके 03 सदस्यों को पशु तस्कर गैंग के रूप में

### किया सूचीबद्ध

दिनांक- 17.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त सलीम नट पुत्र जलील नट निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, उम्र 29 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (पशु तस्कर गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 235” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. मोहम्मद अली पुत्र जलील अहमद निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, उम्र 32 वर्षी
2. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही यादव निवासी मोईनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 39 वर्षी
3. संदीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता निवासी करीमाबाद (मोहम्मदपुर बाबूपुर) थाना कोपागंज जनपद मऊ, 26 वर्षी

## पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त शमशाद व इसके 02 सदस्यों को गोवध गैंग के रूप में किया

### सूचीबद्ध

दिनांक- 17.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त शमशाद पुत्र जुल्फेकार निवासी नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 41 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गौमांस की तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 236” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. जमालुद्दीन पुत्र मो0 हसन निवासी नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 35 वर्षी
2. रेहन पुत्र मो0 हसन निवासी नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्षी

### थाना अतरौलिया

#### मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व का विवरण-** दिनांक 30.03.2024 को वादी मु0 इलियास खाँ पुत्र स्व0 लियाकत खाँ निवासी नेबुआडीह भटिही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि जमीनी रंजिश व दरवाजा लगाने की बात को लेकर अभियुक्तों ने वादी व उसके परिजनों को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डे, से मारा-पीटा एवं जान से मारने की धमकी दिये जिसेक सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 103/24 धारा- 308/323/504/506 IPC बनाम 01. अयूब खाँ पुत्र स्व0 मुस्तफा खाँ , 02. सिरताज खाँ पुत्र अयूब खाँ , 03. सद्दाम खाँ पुत्र अयूब खाँ , 04. राज उर्फ मेराज खाँ पुत्र अयूब खाँ समस्त निवासी नेबुआडीह भटिही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 17.04.2024 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 01. सिरताज खाँ पुत्र अयूब खाँ , 02. मो0 सद्दाम खाँ पुत्र अयूब खाँ निवासीगण नेबुआडीह भटिही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को नन्दना बाजार से समय करीब 12:55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 103/24 धारा- 308/323/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सिरताज खाँ पुत्र अयूब खाँ निवासी नेबुआडीह भटिही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
02. मो0 सद्दाम खाँ पुत्र अयूब खाँ निवासी नेबुआडीह भटिही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला, का0 जावेद अशरफ, का0 प्रवीण कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।